न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी अपर्णा गुप्ता, आई.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 111/2020 प्रा.पत्र

1. श्री दौलतसिंह पिता स्व. कुरसिंह जी राजपूत आयु वयस्क निवासी –वल्लभ, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
2. श्री देवीसिंह पिता स्व. कुरसिंह जी राजपूत आयु वयस्क निवासी –वल्लभ, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
3. श्री प्रेमसिंह पिता स्व. कुरसिंह जी राजपूत आयु वयस्क निवासी –वल्लभ, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
4. श्री फतहसिंह पिता स्व. कुरसिंह जी राजपूत आयु वयस्क निवासी –वल्लभ, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
5. श्रीमती चमनीबाई पिता स्व. कुरसिंह जी राजपूत आयु वयस्क निवासी कांट तहसील सलूम्बर, जिला उदयपुर
6. श्रीमती गमेरकुंवर पिता स्व. कुरसिंह जी धर्मपत्नी देवीसिंह जी राजपूत आयु वयस्क निवासी– राठौड़ों का गुडा, तहसील सलूम्बर, जिला उदयपुर
7. श्रीमती मोहनकुंवर पिता स्व. कुरसिंह जी धर्मपत्नी रोडसिंह जी राजपूत आयु वयस्क निवासी – कोट, तहसील सलूम्बर जिला उदयपुर

................प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)

..................विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थीगण अधिवक्ता लोकेश गहलोत उपस्थित,

प्रतिवादी अधिवक्ता कल्पित जैन पैरोकार सरकार उपस्थित

निर्णय

दिनांक: 22.09.2021

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर अंकित मौजा वल्लभ पटवार मण्डल वल्लभ तह. गिर्वा जिला उदयपुर की जमाबंदी आ. स. 2000/578 रकबा 0.3550 हेक्टेयर का प्रस्तुत करते हुए अंकित किया कि उक्त आराजीयात के साबिक आराजी नम्बर 413 व 414 थे। उक्त आराजी संख्या 413, 414 रकबा 32 बीघा 13 बिस्वा में मोहब्बतसिंह [illegible] भीमसिंह पिता पदमसिंह जी राजपूत सह[illegible] आधिपत्यधारी थे। इनका नाम शुरू से सम्वत् 2026 से 2029 तक [illegible] जमाबंदी में चलता रहा है लेकिन बाद की जमाबंदी में सहवन से कुरसिंह का नाहरसिंह हो गया। कुरसिंह का नाम कभी नाहरसिंह नहीं था, [illegible] जमाबंदी में इन्द्राज दोहराने वाले राजस्व कर्मचारी ने गलती से कुरसिंह का

Signature Not Verified
Digitally signed by Aparna Gupta
Date: 2022.01.05 15:41:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

नाम नाहरसिंह दर्ज कर दिया जो अवैधानिक था। प्रार्थीगण के पिता कुरसिंह जी का स्वर्गवास दिनाक 11.12.1996 को हो चुका है। उनकी मृत्यु के बाद उनकी अन्य भूमि मे प्रार्थीगण का नाम विरासत से दर्ज हो चुका है लेकिन इस खाते में नाम गलत अंकित हो जाने से विरासत का नामान्तकरण स्वीकृत किये जाने मे समस्या आ रही है।

अतः निवदेन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त कलम संख्या एक में अंकित आराजी में सुधार कराया जाकर प्रार्थीगण के पिता का नाम नाहरसिंह के बजाय पुर्व की भांति कुरसिंह पुनः दर्ज कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे ताकि प्रार्थीगण अपने मृतक पिताजी के स्थान पर अपना विरासत का नामान्तकरण अपने नाम खुलवा सके।

प्रकरण इन्द्राज दुरस्ती में दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन सूचित किया गया, प्रकरण नाम दुरस्ती का होने से तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रकरण में मौका रिपोर्ट पत्राकः राजस्व बी/2021/748 दिनांक 24.06.2021 के द्वारा मौका पर्चा मय विस्तृत प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि राजस्व ग्राम वल्लभ के वर्तमान जमांबदी संवत 2070 से 2073 की खाता संख्या 155 आ. न. 2000/578 किता 1 रकबा 0.3550 है। भूमि नाहरसिंह भीमसिंह पिता पदमसिंह राजपूत के नाम दर्ज है, किन्तु सेटलमेंट पूर्व साबिक जमांबदी संवत 2030 से 2033 की खाता संख्या 104 साबिक 413, 414 रकबा 3211)3 खातेदार मोहब्बत सिंह, कुरसिंह भीम सिंह वल्द पदमसिंह केरसिंह वल्द जवान सिंह रतनसिंह वल्द प्रताबसिंह 1/4 हि.ब. दर्ज रेकर्ड थी, परन्तु हाल सेटलमेन्ट जमाबन्दी संवत् 2042 लिखाई में मिसल बदोबस्त संवत् 2042 की खात संख्या 152 आराजी नम्बर 578 रकबा 1.4200 है। भूमि में मोहब्बत सिंह, नाहर सिंह, भीमसिंह पिता पदमसिंह केरसिंह पिता जवानसिंह, रतन सिंह पिता प्रताप सिंह 1/4 हि.ब. खातेदार दर्ज है, जो वक्त लिखाई जमाबन्दी मिसल बन्दोबस्त में सहवन से गलत दर्ज हो गया, जबकि मोहब्बत सिंह, कुरसिंह, भीमसिंह वल्द पदम सिंह राजपूत होना चाहिए था। वर्तमान जमाबन्दी में नाहरसिंह भीमसिंह पिता पदम सिंह के बजाय कुरसिंह भीमसिंह पिता पदमसिंह राजपूत करना उचित है।

प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार के अधिवक्ता की बहस सूनी गई पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत दस्जावेजों का विस्तृत अध्ययन कर मनन किया गया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रस्तुत विस्तृत मौका रिपोर्ट से न्यायालय का निष्कर्ष है कि सेटलमेंट पूर्व साबिक जमांबदी संवत 2030 से 2033 की खाता संख्या 104 साबिक 413, 414 रकबा 3211)3 खातेदार मोहब्बत सिंह, कुरसिंह भीम सिंह वल्द पदमसिंह केरसिंह वल्द जवान सिंह रतनसिंह वल्द प्रताबसिंह 1/4 हि.ब. दर्ज रेकर्ड थी, परन्तु हाल सेटलमेन्ट जमाबन्दी संवत् 2042 लिखाई में मिसल बदोबस्त संवत् 2042 की खात संख्या 152 आराजी नम्बर 578 रकबा 1.4200 है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Aparna Gupta
Date: 2022.01.05 15:41:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

भूमि में मोहब्बत सिंह, नाहर सिंह, भीमसिंह पिता पदमसिंह केरसिंह पिता जवानसिंह, रतन सिंह पिता प्रताप सिंह 1/4 हि.ब. खातेदार दर्ज है, जो वक्त लिखाई जमाबन्दी मिसल बन्दोबस्त में सहवन से गलत दर्ज हो गया, जबकि मोहब्बत सिंह, कुरसिंह, भीमसिंह वल्द पदम सिंह राजपूत होना चाहिए था।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार गिर्वा को आदेश दिया जाता है कि ग्राम वल्लभ पटवार मण्डल वल्लभ तह. गिर्वा जिला उदयपुर की जमाबंदी आ.स. 2000/578 रकबा 0.3550 हेक्टेयर में नाहरसिंह भीमसिंह पिता पदम सिंह के बजाय कुरसिंह भीमसिंह पिता पदमसिंह राजपूत परिवर्तन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में शुद्वी कर अमल दरामद करावें। निर्णय सरेइजलास सूनाया गया।

प्रकरण फैसल शूमार होकर नम्बर से कम हों।

(अपर्णा गुप्ता)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा – उदयपुर.

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Aparna Gupta
Date: 2022.01.05 15:41:34 IST
Reason: SelfAttested